कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाठवाड़ी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभाला जैतमाल जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध अशोक कुमार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2366/2021 अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील में माननीय अधिकररण के आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.03.21 द्वारा निस्तारित करते हुए स्थानान्तरित विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण करने का आदेश प्रदान किया गया था।

उपर्युक्त आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय अधिकरण में पुनः अपील संख्या 1672/2021 दायर की गयी जिसमें माननीय अधिकरण नें अपीलार्थी को अपील में वर्णित आधारों पर रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 2 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने तक आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.21 स्थगित रहनें सम्बन्धी आदेश प्रदान किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में झुन्झुनूं जिले में कार्यरत रहने को मद्देनजर राउमावि रानासर /मालकसर/फोगां/बुकनसर/किकासर ब्लॉक सरदारशहर जिला चुरू या राउमावि फौलादपुर/गढ़बसई/खानपुर मेवान जिला अलवर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के पद पर कार्यरत कार्मिक है जिसका एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद द्वारा खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अशोक कुमार/2366/2021/218 दिनांकः 07.07.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/बाड़मेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. संबंधित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)